बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग—१ कार्यवाही-प्रश्नोत्तर)

वृहस्पतिवार, तिथि १ दिसम्बर, १९७७

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या २३, २५, ५३ एवं ५४ .... १—१२

तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या ३१२, ३१३, ३१४, ३१५, ३१६, १२—९२
३१७, ३१८, ३१९, ३२३, ३२९, ३३५, ३३६, ३३८, ३३९,
३४४, ३४६, ३४८, ३४९, ३५२, ३५६, ३५७, ३६२,
३६४, ३६७, ३६८, ३७२, ३७७, ३८०, ३८४, ३८६,
३८८, ३८९, ३९२, ३९३, ३९५, ३९७, ४००, ४०३,
४१०, ४१२, ४१३, ४१६, ४१७, ४१८, ४२३, ४२७,
४२८, ४२९, ४३०, ४३१, ४३२, ४३५, ४३६, ४४८,
४४९, ४५१, ४५२, ४५३, ४५४, ४५५, ४५८, ४५९,
४६१, ४६५, ४७०, ४७१, ४७२, ४७३, ४७७, ४७९,
४८१, ४८३, १०१७, १०२०, १०२१, १०२३, १०२४,
१०२६, १०३१, १०३५, १०३६, १०३७, १०४०, १०४१,
१०५१, १०५२, १०५६, १०६०, १०६९, १०७३, १०८०
एवं ११०४ ।

परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर) .... ९३—१३५

दैनिक निबंध .... १३७—१४१

टिप्पणी—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है, उनके नाम के आगे (*) चिह्न लगा दिया गया है ।

विभाग में लम्बित है, यदि हाँ तो सरकार उक्त तपसी बाबा के बकाये राशि का भुगतान कब तक करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जाबिर हुसैन—(१) उत्तर नकारात्मक है।

(२) यह अनावर्त्तक अनुदान है। प्रति वर्ष अनुदानकर्त्ता द्वारा स्वीकृत अनुदान के उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ स्थानीय पदाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही प्रति वर्ष वित्त विभाग की सहमति से अनुदान स्वीकृत किया जाता है। अतः अनुदान लंबित रहने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

करजाइन अस्पताल को मान्यता

१०५६. **श्री असेश्वर गोईत**—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत राघोपुर प्रखण्ड के करजाइन बाजार में अस्पताल के लिए एक पक्का मकान बना हुआ है;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त अस्पताल को अपनी जमीन तथा पक्का मकान रहने पर भी सरकारी अस्पताल की मान्यता नहीं मिल पायी है;

(३) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो उक्त अस्पताल को सरकारी अस्पताल की मान्यता कब तक प्रदान करने का विचार रखती है ?

श्री जाबिर हुसैन—(१) यह बात सही है कि राघोपुर प्रखण्ड के करजाइन बाजार में लोगों ने अस्पताल के लिए एक भवन तैयार किया है।

(२) अस्पताल को मान्यता मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि सरकार से पूछ कर उपर्युक्त भवन नहीं बनाया गया है।

(३) कंडिका (२) के संदर्भ में प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रम निरीक्षकों की प्रोन्नति

१०६०. **श्री रघुनाथ झा**—क्या मंत्री, श्रम एवं नियोजन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सरकारी प्रचलित नीति के अनुसार १० वर्ष